न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 27/2026 बउनवानी मोहर रिंह बनाम प्रभारी अधिकारी भू0अ0 स0मा0
पुत्र श्री शिवजी लाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा
GCMS No-2026/37

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
11.3..2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 01.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग कार्यालय हाजा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ग्राम **टोटोलाई के साबिक ख0न0 28,105,69,12,17 उपजिला कलेक्टर की मिसल संख्या 171/1985,186/1985,178/1985, आवंटन दिनांक 24.9.1985 मिसल संख्या 70/1983 आवंटन दिनांक 12.01.1983 का रिकार्ड दिनांक 5.4.1988 को जिला अभिलेखागार मे जमा करवायी गयी है सहित कुल 9 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचनाओं की प्रति** " प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस प.14/7/3/सूक़ाअ/भू.अ./2026/1326 दिनांक 27.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रांर्थना पत्र दिनांक 01.01.2026 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 631 दिनांक 2.2.2026, पत्रांक 401 दिनांक 16.1.2026 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के अन्य प्रकरण आदित्य पाराशर बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर भरतपुर मे अपील संख्या RIC/BHRT/A/2024/007177 मे पारित निर्णय दिनांक 9.12.2024 मे स्पष्ट अंकित किया कि है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 से यह उल्लेखित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (भू. अ.) नियम,1957 के नियम ,28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के अनुरूप होगी। अर्थात ऐसी सूचनाऐ, सूचना का अधिकार अधिनियम के बजाय नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करके ही प्राप्त की जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 9 की सूचना राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम ,28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के अनुरूप होने से ऐसी सूचनाऐ, सूचना का अधिकार अधिनियम के बजाय नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करके ही प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग एवं जिला अभिलेखागार के कार्यालय मे उपस्थित होकर नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	